न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2965–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–6–2012 पारित द्वारा तहसीलदार, बुरहानपुर प्रकरण कमांक 156/ अ–12/11–12.

राजमोहम्मद पिता शाह मोहम्मद
निवासी ग्राम बिरोदा
तहसील व जिला बुरहानपुर .....आवेदक

विरूद्ध

अर्जुन पिता देवचंद महाजन
निवासी ग्राम बिरोदा
तहसील व जिला बुरहानपुर .....अनावेदक

श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त जोशी, अभिषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/11/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–6–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, बुरहानपुर के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम बिरोदा तहसील बुरहानपुर स्थित सर्वे नम्बर 1476 रकबा 3.16 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 156/अ–12/2011–12 दर्ज कर अनावेदक की भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 11–6–2012 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :–

(1) आवेदक को बुलाया नहीं गया है, और उसकी अनुपस्थिति में सीमांकन हुआ है ।

(2) आवेदक, अनावेदक की भूमि से लगी सर्वे नम्बर 1474 रकबा 1.55 हेक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 1575 रकबा 0.808 हेक्टेयर का भूमिस्वामी है ।

(3) हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जो पंचनामा बनाया गया है, उसमें मौके पर चांदा पत्थर नदारद बताया गया है । जब मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह चांदा पत्थर उपलब्ध नहीं है, तब प्रश्नाधीन भूमि का किया गया सीमांकन अवैधानिक है ।

(4) पटवारी द्वारा मौके पर दिनांक 2–6–2012 को पंचनामा तैयार किया गया है, और उसके द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसके बावजूद तहसील न्यायालय द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होना दर्शाकर प्रकरण दाखिल दफ्तर किया गया है, जो कि विधि विपरीत होकर अन्यायपूर्ण कार्यवाही है ।

(5) तहसील न्यायालय द्वारा सर्वे नम्बर 1559/3 रकबा 0.03 हेक्टेयर एवं अनावेदक की भूमि का सीमांकन किया गया है । उक्त दोनों सीमांकन मे अत्यधिक भिन्नतायें हैं, क्योंकि सर्वे नम्बर 1559/3 का भूमिस्वामी धर्मराज पिता देवचंद को बताया गया है, जो कि अनावेदक की खेत का पड़ौसी कृषक नहीं है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :–

(1) सीमांकन की कार्यवाही प्रशासनिक कार्यवाही होती है तथा प्रशासनिक कार्यवाहियों के विरूद्ध अपील अथवा निगरानी नहीं हो सकती है ।

(2) सीमांकन की कार्यवाही राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा की जाती है, जो कि संहिता की धारा 56 के अंतर्गत आदेश की परिभाषा में नहीं आती है, इसलिए भी सीमांकन आदेश के विरूद्ध अपील अथवा निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है ।

(3) अनावेदक द्वारा अपनी भूमि का विधिवत सीमांकन कराया गया है, और उक्त सीमांकन नियमानुसार हुआ है । यदि आवेदक को उक्त सीमांकन में कोई आपत्ति है तो वह अपनी भूमि का सीमांकन करा सकता है ।

तर्कों के समर्थन में 1978 आर.एन. 393 एवं 1970 आर.एन. 593 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को बिना सूचना दिये उसकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है, और प्रतिवेदन में अनावेदक की भूमि 0.010 आरे पर आवेदक का कब्जा बतलाया गया है, जो कि वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही नहीं है, कारण आवेदक की अनुपस्थिति में उसके पीठ पीछे किये गये सीमांकन के आधार पर आवेदक का अनावेदक की भूमि पर कब्जा बतलाया जाना पूर्णतः अन्यायपूर्ण कार्यवाही है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार का सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि तहसीलदार उभय पक्षों सहित अन्य पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में विधिवत प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कर सीमांकन आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर. तहसीलदार, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–6–2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर